

जलपानम  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रामनारायणल  
 बनाम  
 रिशपाल वर्मा  
 108/2022

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01/09/22	<p>यह वाद जम वादी की ओर से 1500 की दीपचन्द्र महापट्ट ने अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T. Act के तहत प्राप्त की। कार्यालय रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो ऊक्त वाद के संबंध में केदियत जाई गई। वाद जम को दर्ज रजिस्ट्रार कर केदियत कर को तलबी हेतु नैटिव जारी होकर पत्तावली दिनांक 08/09/22 को पेश हो।</p>	
	8/9/22	<p>उपखण्ड अधिकारी              रामनारायणल</p> <p>पत्तावली पेश हुई। <u>वकील वादी अपा</u>              पत्तावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/जवाब              दिनांक <u>20/9/22</u> को पेश हो।</p>	
	20/9/22	<p>उपखण्ड अधिकारी              रामनारायणल, जिला-जयपुर</p> <p>पत्तावली पेश हुई। <u>वकील वादी अपा</u>              पत्तावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/जवाब              दिनांक <u>18/10/22</u> को पेश हो।</p>	
	18/10/22	<p>उपखण्ड अधिकारी              रामनारायणल, जिला-जयपुर</p> <p>पत्तावली पेश हुई। अधिवक्ता सच द्वारा              अधिलेखन का प्रतिकार करने पर              पत्तावली पूर्वानुसार दिनांक <u>23/12/22</u> पेश हुई।</p>	
	23/12/22	<p>पत्तावली पेश हुई। वकील वादी              अनुमति। वकील वादी तथा वादी को              बार-बार आवाज लगाई गई।</p>	

# फर्द अहकाम

न्यायालय इलाहाबाद, जिला जयपुर

(सामान्य) बनाम शिशुपति

मुकदमा संख्या/वर्ष : 108 / 20 22

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>लेकिन कोर्ट उप० नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली को अदम एजरी व अदम पेंसरी में ब्यारिज की जाती है। पत्रावली केसबल गुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रति दारिजल दफतर हो।</p>	

  
**सुपरीम अधिकारी**  
 मवाराम, जिला-जयपुर